राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 22(7)त.शि. / 09 जयपुर, दिनांक, 10 अगस्त 2018

कार्यवाही विवरण

संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य की अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों को एजीपी 6000–7000 एजीपी 7000–8000 एजीपी 8000–9000 एवं एजीपी 9000–10000 का लाभ दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की दिनांक 9.8.2018 एवं 10.8.2018 को तकनीकी शिक्षा भवन, झालाना डूंगरी जयपुर में बैठक आयोजित की गई।

उक्त बैठक में एजीपी 6000–7000 एजीपी 7000–8000 के प्रकरणों के संबंध में प्राचार्यों को विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.7.2018 एवं 1.8.2018 के द्वारा उनके स्तर से महाविद्यालय स्तर पर स्क्रीनिंग कम एविलेशन कमेटी के माध्यम से कार्यपूर्ण करवाकर अभिशंषा के साथ प्रस्ताव अनुमोदन हेतु लाने के लिये निर्देशित किया गया था। जो महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा कमेटी को लिफाफे उपलब्ध करवा दिये गये हैं।

एजीपी 8000–9000 एवं एजीपी 9000–10000 के प्रकरणों के संबंध में साक्षात्कार लिये जाने हेतु अन्य महाविद्यालयो के विषय–विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था।

महाविद्यालय के अभ्यार्थियों को CAS का लाभ दिये जाने से पूर्व अभ्यार्थियों के संबंध में प्राचार्यों को निम्न अंडर टेंकिंग लेने हेतु निर्देश दिये गयेः–

1. अभ्यार्थियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया लंबित नहीं है।
2. अभ्यार्थियों द्वारा माननीय न्यायालयों में इस संबंध में वाद दायर नहीं किया हुआ है।
3. अभ्यार्थियों के गोपनीय प्रतिवेदन संतोषप्रद है।
4. अभ्यार्थियों के विरूद्ध बकाया वसूली का प्रकरण लंबित नहीं है।
5. अभ्यार्थियों का चयन नियमित रूप से किया गया है।

उपरोक्तानुसार अंडरटेकिंग प्राप्त कर पत्रावली पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावेगी। मीटिंग सधन्यवाद संपन्न हुई।

भवदीय

संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
4. प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर / कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी बीकानेर / झालवाड / भरतपुर / अजमेर / महिला अजमेर / एमएलवीटीई भीलवाडा।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.